

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़
पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर :- 62/2023

उनवान

1. भगवान लाल पुत्र श्री लक्ष्मण लाल बलाई नि0 हमीरगढ़ तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

—वादी

बनाम

1. राजेश पुत्र श्री रतन लाल ढोली नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा(राज.)
2. लाली पुत्री रतन लाल ढोली नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा(राज.)
3. सत्यनारायण पुत्र श्री रतन लाल ढोली नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

श्री कैलाशचन्द्र आचार्य अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़
अप्रार्थी संख्या 01 लगाया 03 अनु0

दिनांक-01.04.2025

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 01-04-2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वादपत्र में विभाजन की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू0अ0नि0 हमीरगढ़ तह0 हमीरगढ़ की आराजियात बंटवारा सूची अनुसार :-

1. भगवान लाल पुत्र लक्ष्मण लाल हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा.हमीरगढ़ खातेदार-

आ0न0	रकबा	किस्म
1723/1011	0.0396है0	चाही II
कुल किता 1	रकबा 0.0396है0,	

1. राजेश पुत्र श्री रतन लाल हिस्सा जाति ढोली सा.देह खातेदार-
2. लाली पुत्री रतन लाल हिस्सा जाति ढोली सा.देह खातेदार-
3. सत्यनारायण पुत्र श्री रतन लाल हिस्सा जाति ढोली सा.देह खातेदार-



आ0न0	रकबा	किस्म
1723/1011	0.0659है0	चाही II
कुल किता 1	रकबा 0.0659है0	

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उक्त डिकी का नजरी नक्शा पार्ट रहेगा। तहसीलदार हमीरगढ उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद व राजस्व नक्शे में पालना हेतु एक प्रति प्रेषित की जावे। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नेहा कौपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ